

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ, अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड़, रायपुर (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 - 2552233

ई — मेलः apcef-lm.cg@gov.in

क्र0/भू-प्रबंध/विविध/ 115-593/2864

रायपुर, दिनांक 23/11/2016

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) भारत सरकार – पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय – वेस्ट सेन्ट्रल रीजन ईस्टर्न विंग – भू तल, न्यू सेक्रेटेरियेट भवन – VCA के सामने सिविल लाईन, नागपुर – 440001

विषय:- Diversion of Forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 coming under Extension of Aagdih Air Strip Jashpur Area 4.365 ha. - पंजीयन क्रमांक FP/ CG/ Others / 8204 / 2014

संदर्भः — भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक/ FC-I/ CH-27/2016-NGP/ 781 दिनांक 16.08.2016

2. वन मंडलाधिकारी, जशपुर वन मंडल का पत्र क्रमांक/ मा. चि/ 2016/ 1409 दिनांक 23.09.2016

= 0 =

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संदर्भित पत्र — 1 द्वारा भारत सरकार (MoEF&CC) क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर द्वारा 02 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी।

संदर्भित पत्र – 2 के माध्यम से उक्त जानकारी वन मंडलाधिकारी, जशपुर वन मंडल द्वारा बिन्दुवार प्रेषित की गई है, जो निम्नानुसार है:–

बिन्दु क्रमांक	पालन प्रतिवेदन
The purpose of the observation sought under	प्रस्तावित हवाई पट्टी के विस्तारीकरण से निर्मित
	होने वाले व्यपवर्तित मार्ग का राजस्व भूमि होने संबधी
to seek the details of area / alignment	प्रमाण पत्र संलग्न है <b>(प्रदर्श—अ)</b> ।
involved in the bypass road to be constructed	
for the villagers to provide uninterrupted	
access to the village as indicated under	
Column No. 2 of Part -I submitted in the	
proposal. The same may be provided by the	
State Government.	
Examination of the documents submitted by	ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव, अनुविभागीय अधिकारी,
the State Government revealed that copies of	राजस्व एवं कलेक्टर, जशपुर का प्रमाण पत्र मय
the proceeding of meetings / record of	उपखण्ड स्तरीय समिति के कार्यवाही विवरण सहित
consultation of the Sub-Divisional Level	संलग्न है <b>(प्रदर्श—ब)</b> ।
Committee have not been submitted by the	
State Government. Rather, a joint inspection	
report of the area proposed for diversion by	
the Sub-Divisional Level Committee has been	· · · · · ·
submitted. The record of consultation of the	
Sub-Divisional Committee collating the	
resolution of the Gram Sabha, as per the	
provisions of Scheduled Tribes and Other	
Traditional Forest Dwellers (Recognition of	
Forest Rights) Act, Rules, 2007 needs to be	
submitted by the State Government.	
	विन्दु क्रमांक The purpose of the observation sought under clause (iii) of the letter dated 20-04-2016 was to seek the details of area / alignment involved in the bypass road to be constructed for the villagers to provide uninterrupted access to the village as indicated under Column No. 2 of Part -I submitted in the proposal. The same may be provided by the State Government. Examination of the documents submitted by the State Government revealed that copies of the proceeding of meetings / record of consultation of the Sub-Divisional Level Committee have not been submitted by the State Government. Rather, a joint inspection report of the area proposed for diversion by the Sub-Divisional Level Committee has been submitted. The record of consultation of the Sub-Divisional Committee collating the resolution of the Gram Sabha, as per the provisions of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, Rules, 2007 needs to be

- 346 -Letter Vividh 2016 (1)

क्रमश:-

उपराक्तानुसार प्रतिवेदन को मान्य करते हुए नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विकास हेतु प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी किंग जान का अनुरोध है।

संलग्नः - उपराक्तानुसार

३५<u>त ع</u>ي، २**५९ २३**॥ (मुदित कुमार सिंह) अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ) छत्तीसगढ़

पृ. क्र0/भू-प्रबंध/विविध/ 115-593/2808 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः रायपुर, दिनांक 23/11/2016

- प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

संलग्नः-- उपरोक्तानुसार

)

- मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।
  - वन मंडलाधिकारी, जशपुर वन मंडल, जशपुर, छत्तीसगढ़।
  - कार्यपालन अभियंता (भ⁄सं) लोक निर्माण विभाग, जशपुर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़।

वर्तमान में आवेदक को दन भूमि में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

للغ عناجة حالية عناية عبرتانية عناية ع عبرتانية عناية ع عبرتانية عناية ع عبرتانية عناية ع مناية عناية عناية

2

# अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति जिला जशपुर // बैठक की कार्यवाही विवरण//

अनुसृचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा संशोधित नियम 2012 के तहत् ग्राम पंचायत तुरी लोदाम में आगडीह एयर स्ट्रीप निर्माण हेतु ग्राम रतरीय वन अधिकार समिति के अनुशंसा सहित प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग जशपुर से अनुभाग स्तरीय समिति को प्राप्त हुआ है, प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है :--

क्रमाद	क्रमांक ग्राम का नाम पंचायत का नाम हल्का नम्बर खर्मज जकन					
		न भाषराः यगं माम	हल्का नम्बर	खसरा	रकबा	मद्
04				नम्बर्	हेक्टेयर में	
01	तुरीलोदाम	तुरीलोदाम	021	188	1.975	निस्तार वन
				195	2.390	निस्तार वन
	योग :			2.	4.365	

प्रस्तावित भूमि पर विचार करने हेतु आज दिनांक <u>क दि</u> हे हो को अनुभाग स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि प्रस्तावित भूमि में वन अधिकार अधिनियम के तहत् किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व सामुदायिक दावे हेतु मान्यता प्रमाण पत्र का वितरण नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त प्रस्तावित भूमि पर एयर स्ट्रीप निर्माण किये जाने हेतु अनुभाग स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसा कर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अध्यक्ष जनपद पंचायत जशपुर सदस्य, अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति, जशपुर

मण्डल संयोजक सदस्य, अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति, जशपुर

विसेश्वर राम भगत

सदस्य जनपद पंचायत जशपुर सदस्य, अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति, जशपुर

Arst

अनुविभागीय अधिकारी, (वन). जशपुर सदस्य, अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति, जशपुर NSICK9 निरंजन एक्का

सदस्य जनपद पंचायत जशपुर सदस्य, अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति, जशपुर

अनुविभागीय अविकारी, (राजस्व) जशपुर सदस्य, अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति, जशपुर

, and the second s

# कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) संभाग जशपुर

## जिला-जशपुर (छ.ग.)

ज्ञापन क्रमांक / तक / 2016–17 जशपुर दिनांक

## प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, आगडीह हवाई पट्टी के प्रस्तावित विस्तारीकरण होने से जो आगडीह नीमगांव पैकू का व्यपवर्तित मार्ग बनाया गया है, वह सड़क राजस्व भूमि से होकर गुजरता है जिसमें कहीं भी वन भूमि नहीं आता है।

पीलन अभियंता लो.नि.वि. (म. / स.) समाग जशपुर जिला–जशपुर (छ.ग.)

#### FORM-I

For linear project Government of Chhatishgarh Office of the District Collector Jashpur

No

### Date ... ? Style ... .....

#### To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> august 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completes the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letters dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **4.365** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **E.E PWD Jashpur** (name of user agency) for **Extention of Aagdih Air Strip** (purposed for diverted of forest land) in **Jashpur** district falls within jurisdiction of **Turi Lodam** Village(s) **Jashpur** tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.365 hectars of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), sub-Division level committee(s) and the district level Committee are enclosed as annexure I to I
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the gonernment as requires under section 3(2) of the FRA have Been completed and the Gram Sabha have given their consent to it:
- (c) The proposed does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above



Sub divisional Officer Jashpur (C.G.)

Collector ashpur (C.G.)

